न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 33/2022 **GCMS No. 2023/59**

अपीलांट–

1. खरथाराम पुत्र रूपाराम
2. जालाराम पुत्र धर्माराम
3. मानाराम पुत्र धर्माराम
4. रूगाराम पुत्र रूपाराम
5. वरजूदेवी पत्नि धर्माराम जातियाान जाट निवासीयान चक सियागों की ढाणी, संतरा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

बनाम

उत्तरदातागण–

1. उमेदाराम पुत्र भूराराम
2. राजूराम पुत्र भूराराम
3. बाबुराम पुत्र मूलाराम
4. कौशलाराम पुत्र मूलाराम
5. ईमियों पत्नी मूलाराम
6. बाबुराम पुत्र दीपाराम
7. टीकुराम पुत्र दीपाराम
8. चनणाराम पुत्र दीपाराम
9. गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम
10. खमा देवी पत्नी जेठाराम
11. खेताराम पुत्र जेठाराम
12. परेमसियाग पुत्र जेठाराम
13. फुसाराम पुत्र जेठाराम
14. मालाराम पुत्र पेमाराम
15. देवाराम पुत्र पनाराम
16. पपाराम पुत्र पनाराम
17. लिछमी पत्नी पनाराम
18. गंगाराम पुत्र तुलछाराम
19. लछाराम पुत्र तुलछाराम
20. राणाराम पुत्र तुलछाराम
21. बालाराम पुत्र मोटाराम
22. मगाराम पुत्र मोटाराम
23. विरधाराम पुत्र मोटाराम
24. रामाराम पुत्र सोनाराम
25. हीराराम पुत्र सोनाराम
26. मूलाराम पुत्र पदमाराम
27. कौशलाराम पुत्र पदमाराम
28. बगताराम पुत्र पदमाराम
29. बाबुराम पुत्र पदमाराम
30. पेम्पों देवी पत्नी पमदाराम
31. बगताराम पुत्र भीखाराम
32. बाबुलाल पुत्र भीखाराम
33. छगनलाल पुत्र भीखाराम
34. पनाराम पुत्र भीखाराम
35. तीजों देवी पत्नी भीखाराम
36. अमराराम पुत्र नारणाराम
37. रतनाराम पुत्र नारणाराम
38. केशाराम पुत्र हेमाराम
39. भंवराराम पुत्र हेमाराम
40. निम्बाराम पुत्र हेमाराम
41. चतरु देवी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी चक सियागों की ढाणी, संतरा तहसील गिडा जिला बालोतरा
42. तहसीलदार गिडा जिला बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2019/312 दिनांक 30.10.2010 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व उतरदाता सं. 1 से 41 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछाराम सियाग़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनु.उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश **दिनांक:–30.07.2025**

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता अनु.उपस्थित। उतरदाता के अधिवक्ता उपस्थित। अपील इस प्रकार है कि खातेदारी मूल खसरा नम्बर 6 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 128.04 बीघा, खसरा नम्बर 21 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नम्बर 23 रकबा 60.01 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 02.05 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 32.10 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 58.12 बीघा, खसरा नम्बर 20 रकबा 26.15 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 05.08 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 232.06 बीघा मौजा चक संतरा व खसरा नम्बर 9 रकबा 97.09 बीघा मौजा रडियातालर, खसरा नम्बर 6 रकबा 78.05 बीघा मौजा पाउण्डरी पटवार क्षेत्र संतरा तहसील गिडा में भूमि है। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 41 का अपने–अपने हक हिस्सेदार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 41 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व / 2019 / 312 दिनांक 30.10.2010 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 सें 41 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2010 को निरस्त फरमावे। अपीलान्ट ने उक्त बंटवाड़ा आदेश को निरस्त करने की अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मूल खसरा नम्बर 6 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 128.04 बीघा, खसरा नम्बर 21 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नम्बर 23 रकबा 60.01 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 02.05 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 32.10 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 58.12 बीघा, खसरा नम्बर 20 रकबा 26.15 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 05.08 बीघा, खसरा नम्बर 30 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 232.06 बीघा मौजा चक संतरा व खसरा नम्बर 9 रकबा 97.09 बीघा मौजा रडियातालर, खसरा नम्बर 6 रकबा 78.05 बीघा मौजा पाउण्डरी पटवार क्षेत्र संतरा तहसील गिडा में अवस्थित है। उतरदातागण के अधिकक्ता की बहस सुनी गई, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने पर पाया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

2. दौराने बहस अधिवक्ता उतरदातागण ने बताया कि उक्त बंटवाड़ा दिनांक 30.10.2010 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष सभी पक्षकारान स्वयं उपस्थित होकर सर्व सम्मति से पारित करवाया है जिस पर किसी पक्षकार को कोई एतराज नहीं था एवं यह भी कहा कि जिन पक्षकारो ने बंटवाड़ा करवाया था उनमें से कई पक्षकारों की मृत्यु हो चूकी है तथा उन्होनें अपने जीवनकाल में किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं किया। उक्त भूमि का विभाजन करते समय सभी पक्षकारों को समान रूप से रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है एवं सभी पक्षकारों ने अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर पक्के आवास/निवास भी बना रखे है एवं वर्तमान में अपने हक हिस्से पर पूर्ण रूप से काबिज है। साथ ही अधिवक्ता उतरदातागण ने यह भी बताया कि उक्त विभाजन के बाद अपीलांटगण ने 20.02.2018 को सक्षम न्यायालय से नेखमंबदी/पत्थरगढी का आदेश करवाकर अपने हक हिस्से में आई भूमि की नेखमंबदी/पत्थरगढी भी करवा दी है उसी अनुरूप उतरदातागण ने भी अपने हक हिस्से में आई भूमि की भी नेखमंबदी/पत्थरगढी करवाकर नेखमं कायम कर दिये है। अपीलांट ने उक्त अपील 13 वर्ष बाद पेश की है एवं पत्थरगढी वर्ष 2018 में करवा दी जिस कारण से अपीलांट को वर्ष 2018 से पूर्व में उक्त बंटवाड़ा होने का ज्ञान वर्ष 2018 से पूर्व हो चूका था। अतः उक्त अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज करने योग्य होने से खारिज की जावें।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारधीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनिस्त न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2019/312 दिनांक 30.10.2010 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गिड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुसार मे विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा